



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 06 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1

संख्या 379/XIX-1/25-83/2014

देहरादून, 06 अगस्त, 2025

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2025 (प्रति संलग्न) को यथा प्रक्रिया अग्रेत्तर प्रख्यापित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में, जिन व्यक्तियों का प्रभावित होना संभाव्य है, द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, 248001 को प्रेषित किये जा सकते हैं।

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव।